प्रकरण संख्या–08 / 2018 तारीख रजु–01.02.2018

(2)

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी अभिमन्यु कुमार आई.ए.एस.

उनवान

राममूर्ति पुत्र रामगोपाल आयु 40 साल जाति मीना निवासी ल्होवाकापुरा (पांचौली) तहसील मण्डरायल जिला करौली राज0 – अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मण्डरायल, तहसील व जिला करौली – रेस्पोण्डेण्ट

अपील व नाराजगी निर्णय दिनांक 24.01.2018 न्यायालय तहसीलदार मण्डरायल, मु.नं. 10 / 18 उनवानी सरकार बनाम राममूर्ति के विरूद्ध

निर्णय

दिनांक–19.06.2018

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट्स द्वारा यह अपील पेश कर निवेदन किया है कि निर्णय दिनांक 24.01.2018 अधीनस्थ न्यायालय खिलाफे कानून रूहेदाद मिसल, पूर्णतया आर्बिट्रेरी, परिवरिश रेस्पोडेन्ट है और निरस्त किये जाने योग्य है। निर्णय दिनांक 24.01.2018 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित करने से पूर्व अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई का व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है और जैर अपील निर्णय एकपक्षीय रूप से न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों की अवहेलना कर पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध है। अपीलांट का आराजी खसरा नं. 499 / 823 किस्म चरनोट (चारागाह) भूमि रकवा 2 बीघा पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण व कब्जा नहीं है ना ही अपीलांट द्वारा उक्त आराजी में किसी तरह की जोत लगाई गई है पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट के विरूद्ध गलत व निराधार रिपोर्ट की गयी है भूमि मौके पर खाली पडी हुई है जिसमें मवेशी चरती है। प्रार्थी का कोई अतिक्रमण व कब्जा उक्त भूमि पर नहीं है इस बावत अपीलांट न्यायालय हाजा में अण्डर टेकिंग प्रस्तुत करने को तैयार है। निर्णय दिनांक 24.01.2018 का है अतः अपील अपीलांट अंदर मियाद प्रस्तुत है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोण्डेण्ट की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर शाामिल पत्रावली की गई।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट ने अपील में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि निर्णय दिनांक 24.01.2018 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित करने से पूर्व अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई का व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है और

जिला कलक्टर
करौली

जैर अपील निर्णय एकपक्षीय रूप से न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों की अवहेलना कर पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध है। अपीलांट का आराजी खसरा नं. 499/823 किस्म चरनोट (चारागाह) भूमि रकवा 2 बीघा पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण व कब्जा नहीं है ना ही अपीलांट द्वारा उक्त आराजी में किसी तरह की जोत लगाई गई है पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट के विरूद्ध गलत व निराधार रिपोर्ट की गयी है भूमि मौके पर खाली पडी हुई है जिसमें मवेशी चरती है। अपीलार्थी द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 499/823 रकबा 2 बीघा ग्राम दरगमा पटवार हल्का औण्ड तहसील मण्डरायल पर से अपना कब्जा हटा लिया है भूमि मौके पर खाली पडी हुयी है। मैं अपीलान्ट भविष्य में कभी भी उक्त भूमि या किसी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण व कब्जा नही करूंगा। न्यायहित में मुझ अपीलान्ट के विरूद्ध कार्यवाही धारा 91 एल.आर.एक्ट समाप्त किया जाना न्यायोचित है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का कथन किया है।

पैरोकार सरकार का बहस में कथन है कि निर्णय नियमानुसार एवं विधिवत् अपीलाण्ट के पिता पर तामील करवाकर पारित किया गया है। अंत में अपील अपीलाण्ट को खारिज किये जाने का कथन किया है।

तहसीलदार मण्डरायल से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार मण्डरायल ने पत्रांक 227 दिनांक 12.06.2018 से अवगत कराया है कि पटवारी हल्का ओण्ड द्वारा दिनांक 15.05.18 को मौका देखा गया जिसमें खसरा नं. 499/823 ग्राम दरगवां पर से अतिक्रमी श्री राममूर्ति पुत्र रामगोपाल जाति मीना द्वारा अतिक्रमण हटा लिया गया है। वर्तमान में उक्त भूमि खाली पड़ी हुई है।

बहस उभयपक्ष एवं पत्रावली का अवलोकन कर मनन किया गया। अपीलाण्ट्स द्वारा उक्त खसरा नम्बर 499/823 रकबा 2 बीघा पर अपना अतिक्रमण नहीं होने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया है एवं तहसीलदार मण्डरायल द्वारा अतिक्रमी अपीलाण्ट द्वारा कब्जा हटा लेने एवं वर्तमान में मौके पर भूमि खाली पड़ी होने बाबत् अवगत कराया है। अतः निर्णय दिनांक 24.01.2018 अधीनस्थ न्यायालय को अपास्त किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। निर्णय दिनांक 24.01.2018 अधीनस्थ न्यायालय अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.06..2018 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(अभिमन्यु कुमार)
जिला कलक्टर
करौली